POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.03.2026

1. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा कार चढ़ा कर हत्या (एक्सीडेंट का रूप देकर) को शव को छुपाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, आलाकत्ल व 03 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **29.03.2026** को **थाना नॉलेज पार्क** पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसांस की सहायता से मु0अ0सं0 65/2026 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1-अमरपाल पुत्र भगवान सराय 2-अमित कुमार पुत्र जिले सिंह 3-सनी पुत्र महेन्द्र को थाना क्षेत्र से **गिफ्तार** किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से घटना में प्रयुक्त इको कार नं0 UP16EQ4870 व आलाकत्ल- एक लोह का पाना व घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए है ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अमरपाल व अमित कुमार व सन्नी उपरोक्त दिनांक 23.03.2026 को बागेश्वर धाम, मध्यप्रदेश में अपनी ईको कार रजि नं0 UP16EQ4870 से घूमने गये थे। अभियुक्त अमरपाल को अपनी भाभी के माध्यम से सूचना मिली कि अमित उर्फ भोंचू घर के पास देखा गया है। इस पर अमरपाल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। मृतक अमित उर्फ भोंचू के खिलाफ अमरपाल पक्ष की तरफ से नाबालिक के साथ बलात्कार करने व पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिखाया गया था जिसमें अमित उर्फ भोंचू जेल गया था। जेल से आने के बाद फिर से दोनो पक्षों का मनमुटाव चल रहा था। अभियुक्त अमरपाल ने अपने साथी अमित कुमार पुत्र जिले सिंह व सनी के साथ बागेश्वर धाम से वापस आते समय अमित उर्फ भोंचू को निपटाने की ठान ली थी और पूरा प्लान रास्ते में ही बना लिया था। दिनांक 25.03.2026 को अमित उर्फ भोंचू इन तीनों को परीचौक के पास मिल गया जिस पर अमित उर्फ भोंचू की अभियुक्त अमरपाल से कुछ बात हो गयी और अमित उर्फ भोंचूएक साथ जीरो पॉइन्ट की तरफ भागने लगा और तीनों अभियुक्त अपनी इको कार को तेजी से ले जाकर अमित उर्फ भोंचू को जान से मारने की नियत से अमरपाल ने उसके ऊपर इको कार चढ़ा दी और तीनों अभियुक्तों ने अमित उर्फ भोंचू को इको कार में डाल लिया और लोहे के पाना से सिर में चोट मारकर ग्राम सफीपुर, अण्डरपास के पास शमशान को जाने वाले सुनसान कच्चे रास्ते के पास ले जाकर अमित उर्फ भोंचू के शव को छुपाने के इरादे से इको कार से ऊतारकर कच्चे रास्ते में फेंक कर भाग गये ।

अभियुक्तों का विवरण--

1- अमरपाल पुत्र भगवान सराय निवासी मौहल्ला सल्लियान कस्बा व थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
2- अमित कुमार पुत्र जिले सिंह निवासी बिरोंडा थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
3- सनी पुत्र महेन्द्र निवासी हसनपुर थाना धौलाना जिला हापुड़।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 65/2026 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क, कमि0-गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1- घटना में प्रयुक्त इको कार रजि नं0 UP16EQ4870
2- आलाकत्ल लोहे का पाना
3- 03 मोबाइल फोन
4- एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल ₹21000 नकद, चोरी के आभूषण, 01 लैपटॉप, 01 टीवी, 01 मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र इत्यादि बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **29.03.2026** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से घरो में घुसकर चोरी करने वाली घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1. बाबू उर्फ बाबुल हुसैन पुत्र रुपचन्द 2. शफीकुल इस्लाम पुत्र ऐनलहक को चिपियाना बुजुर्ग के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे 15000 रुपये नकद, 03 अंगूठी पीली धातु, 01 जोडी कान के कुण्डल पीली धातु, 01 नाक की बाली पीली धातु, 01 लैपटाप डेल कम्पनी, 01 सैमसंग स्मार्ट टीवी 40 इंच,01 मोबाईल फोन, 01 पिट्ठू बैग, काले रंग का कोट पैन्ट संबंधित मु0अ0सं0- 198/2026 एवं 6000 रुपये नकद, 02 दवा की शीशी संबंधित मु0अ0सं0-147/2026 तथा 02 अवैध चाकू बरामद किए गए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.03.2026 की रात्रि में ग्रीन इन्क्लेव, चिपियाना बुजुर्ग क्षेत्र में स्थित एक बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश किया गया तथा घर के अंदर से सोने-चांदी के आभूषण, लैपटॉप एवं टीवी आदि सामान चोरी कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, माह फरवरी में जीटी रोड स्थित लालकुआं क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर से नकदी एवं कुछ दवाइयाँ भी चोरी की गई थीं। उक्त घटनाओं के संबंध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0- 198/2026, धारा 305(a)/331(4) बीएनएस तथा मु0अ0सं0- 147/2026, धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. बाबू उर्फ बाबुल हुसैन पुत्र रुपचन्द अली निवासी ग्राम बन्तीपुर, थाना बरपेटा, बरपेटा, असम वर्तमान पता ग्राम बम्हैटा, थाना वेवसिटी, गाजियाबाद।
2. शफीकुल इस्लाम पुत्र ऐनलहक उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लुतिवारी, थाना अभयपुर, न्यूबोंगाई गांव, असम।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 198/2026 धारा 305(a)/331(4),317(2) बीएनएस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 147/2026 धारा 305(a)/331(4)317(2) बीएनएस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 214/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. कुल 21000 रुपये नकद
2. 03 अंगूठी पीली धातु, 01 जोडी कान के कुण्डल पीली धातु, 01 नाक की बाली पीली धातु
3. 01 लैपटाप डेल कम्पनी, 01 सैमसंग स्मार्ट टीवी 40 इंच,01 मोबाईल फोन
4. 01 पिठ्ठू बैग, काले रंग का कोट पैन्ट
5. 02 दवा की शीशी